प्रेस नोट थाना कांट

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 22.09.2026

थाना कांट पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, हत्या के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी, अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कांट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.2026 को आवेदक श्री अरूणेश कुमार पुत्र केशव देव निवासी मोहल्ला नई बस्ती रेती, थाना आरसी मिशन, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कांट पर तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण 1. रोहित पुत्र अखिलेश एवं 2. गौतम पुत्र राजेश, निवासीगण ग्राम हटीपुर कुर्रिया, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उनके चाचा विनोद कुमार मिश्रा के सिर पर लोहे की राड से प्रहार कर चोट पहुँचायी गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त प्रकरण में थाना कांट पर मु0अ0सं0 401/2026 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने उपचार घायल विनोद कुमार मिश्रा की मृत्यु हो जाने पर मुकदमे में धारा 103(1)/352 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 22.09.2026 को थाना कांट पुलिस टीम कानून-व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 17:00 बजे जिन्दो वाली पुलिया से लगभग 100 मीटर पहले से मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण 1. रोहित पुत्र अखिलेश एवं 2. गौतम पुत्र राजेश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रोहित की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की राड बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम -

1. रोहित पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम हटीपुर कुर्रिया थाना कांट जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 30 वर्ष
2. गौतम पुत्र राजेश निवासी ग्राम हटीपुर कुर्रिया थाना कांट जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 401/2026 धारा 103(1)/352/115(2)/351(3) बीएनएस थाना कांट, शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास -

(1) रोहित पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम हटीपुर कुर्रिया थाना कांट जिला शाहजहाँपुर।

1. मु0अ0सं0 1942/2015 धारा 147/148/149/160/171F/307 भादवि, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 1944/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 1159/2016 धारा 452/323/504/506 भादवि, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

4. मु0अ0सं0 552/2022 धारा 354/457/504/506 भादवि व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 327/2026 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
6. मु0अ0सं0 401/2026 धारा 103(1)/352/115(2)/351(3) बीएनएस, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

(2) गौतम पुत्र राजेश निवासी ग्राम हटीपुर कुर्रिया थाना कांट जिला शाहजहाँपुर ।

मु0अ0सं0 327/2026 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 401/2026 धारा 103(1)/352/115(2)/351(3) बीएनएस, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान -

दिनांक 21.09.2026 समय 17.00 बजे, जिन्दो वाली पुलिया से 100 मी0 पहले थाना क्षेत्र कांट जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त रोहित की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड (आलाकत्ल) बरामद।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से घटना एवं घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की राड के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त रोहित मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.08.2026 को उसने अपने गाँव के विनोद मिश्रा पुत्र स्व0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा के साथ मारपीट करते हुए लोहे की राड से उनके सिर पर प्रहार किया था। घटना में प्रयुक्त उक्त लोहे की राड को उसने जिन्दो वाली पुलिया से हटीपुर कुर्रिया जाने वाले मार्ग पर लगभग 400 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्त रोहित ने बताया कि वह उक्त लोहे की राड को स्वयं उक्त स्थान पर ले जाकर छिपाकर आया था तथा उस समय उसके साथ गौतम नहीं था। गौतम को लोहे की राड के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। अभियुक्त गौतम मिश्रा से पूछताछ करने पर उसने भी बताया कि विनोद मिश्रा पर जिस लोहे की राड से रोहित ने प्रहार किया था, घटना के बाद उक्त लोहे की राड रोहित ही अपने साथ लेकर चला गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज कुमार तोमर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
2. व0उ0नि0 श्री सुन्दरलाल वर्मा, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री जगेन्द्र प्रताप सिंह, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2510 अंकित गौस्वामी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 770 आशीष त्यागी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 760 शिवम कुमार, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 411 रक्षक तोमर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
8. म0का0 1443 सीमा, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।